न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 80/2008/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 20.6.2008
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 लक्ष्मी चंद उर्फ लक्ष्मीनारायण आत्मज कस्तूर चंद जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बांरा (राज0)।

...अपीलांट

बनाम

1 मृतक हीरालाल आत्मज मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बारां जरिये कायम मुकामानः—

1/1—छीतरलाल आत्मज स्व0 हीरालाल
1/2—रामदेव आत्मज स्व0 हीरालाल
1/3—हेमराज आत्मज स्व हीरालाल
जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बारां
1/4—शांतिबाई पुत्री स्व0 हीरालाल पत्नी रामकल्याण निवासी डाबरी काका जी
1/5—कांति बाई पुत्री स्व0 हीरालाल पत्नी रामप्रसाद निवासी ग्राम बडगांव तहसील अन्ता जिला बारां।
1/6—द्रोपदी बाई पुत्री स्व0 हीरालाल पत्नी घनश्याम निवासी तेल फेक्ट्री बांरा जिला बांरा।
1/7—कमला बाई पुत्री स्व0 हीरालाल पत्नी नामालूम जाति माली निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बांरा।
1/8—मांगीबाई विधवा हीरालाल पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बांरा।
2 छीतरलाल आत्मज हीरालाल जाति माली निवासी ग्राम सरकन्या तहसील अन्ता जिला बांरा।
3 राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 30.1.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 68/02 प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान हीरालाल, छीतरलाल बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 अन्ता व लक्ष्मीचंद मे पारित निर्णय दिनांक 13.5.2008 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि हीरालाल, छीतरलाल द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी मांगरोल के यहां इस आशय का पेश किया कि ग्राम सरकन्या मे ख0 नं0 750/216 रकबा 4 बीघा तथा ख0 नं0 752/217 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा कुल 33 बीघा 19 बिस्वा भूमि उसने खाते तथा लक्ष्मीचंद उर्फ लक्ष्मीनारायण के पिता कस्तूरचंद, पन्नालाल की खातेदारी मे ख0 नं0 449/216 रकबा 7 बीधा 10 बिस्वा भूमि दर्ज थी। बन्दोबस्त सं0 2015—24 मे ख0 नं0 750/216, 752/217 का रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा ख0 नं0 379 से दर्ज किया गया। इस प्रकार उसके खाते मे 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि कम कर दी गई। इसके विपरीत लक्ष्मीचंद की भूमि ख0 नं0 749/216 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर ख0 नं0 381 दर्ज कर 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज की

गई इस प्रकार लक्ष्मीचंद के खाते मे 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज की गई। वर्तमान बन्दोबस्त से पूर्व 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि उसकी नहर मे चली गई इसके बाद रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा होना चाहिये लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल ख0 नं0 820, 821, 823, 824, व 825 कायम कर रकबा 2.28 है0 दर्ज किया गया जो गत रकबे की तुलना मे 0.64 है0 कम दर्ज किया गया। लक्ष्मीचंद की भूमि के नये ख0 नं0 826 रकबा 1.85 है0 दर्ज किये जो गत के मुकाबले अधिक दर्ज की गई जबकि ख0 नं0 822 की 4 बीघा भूमि प्रार्थी ही काश्त कर रहे है अतः रकबा सही किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लक्ष्मीचन्द के खो की आराजी ख0 नं0 826 रकबा 1.85 है0 मे से 0.64 है0 भूमि कम कर हीरालाल वगेरा के खाते दर्ज करने व लक्ष्मीचंद के खाते मे ख0 नं0 826 रकबा 1.21 है0 भूमि तथा हीरालाल वगेरा के खाते मे 1.83 है0 के स्थान पर 2.47 है0 भूमि दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का दिनांक 13.5.08 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील कर निवेदन किया कि अपीलांट के 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि सही रूप से दर्ज की गई थी रेस्पो0 की भूमि अपीलांट के खाते दर्ज नही की गई थी तथा ना ही अपीलांट व रेस्पो0 की भूमि पास–पास है इस तथ्य को रेस्पो0 1 व 2 द्वारा प्रमाणित भी नही किया गया था इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 नं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जेरअपील आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। सम्वत 2015 के भू प्रबन्ध की त्रुटि को 40–50 वर्ष पश्चात धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर दुरूस्त नही किया जा सकता ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट पोषणीय नही था। ख0 नं0 826 की सम्पूर्ण 1.85 है0 भूमि पर अपीलांट काबिज काश्त रहा है धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख मे हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है। अपीलांट ने उक्त प्रकरण को कस्टेस्ट किया था ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्पो0 को कानूनन कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। तह0 अन्ता द्वारा मौके की स्थिति की एक पक्षीय तैयार की गई रिपोर्ट अवैध, त्रुटिपूर्ण एंव मनमानी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। बार–बार पत्र/स्मरण पत्र/अ0 शा0 पत्र लिखे जाने उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय से जेरअपील आदेश से संबधित वाछित अभिलेख प्राप्त नही हुआ। अपील प्रकरण न्यायालय हाजा मे वर्ष 2008 से अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय मे लम्बित होने व वांछित अभिलेख प्राप्त नही होने पर अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रकरण से संबधित दस्तावेजात प्रस्तुत करते हुये पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड/दस्तावेजात के आधार पर अपील का निर्णय करने की सहमति प्रकट किये जाने पर अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये जाहिर किया सेटलमेंट विभाग की भूमि सही रूप से दर्ज की गई है जिस पर अपीलांट काबिज काश्त है। रेस्पो0 की भूमि अपीलांट के आस–पास नही है ना ही रेस्पो0 की भूमि अपीलांट के खाते मे दर्ज की गई। सं0 2015 के सेटलेमेट के आधार पर दर्ज भूमि को 40–50 वर्ष बाद धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर दुरूस्त नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही था। धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख मे हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है। अपीलांट ने उक्त प्रकरण को कस्टेस्ट किया था ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्पो0 को कानूनन कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही कर तहसीलदार अन्ता द्वारा मौके की स्थिति की एक पक्षीय अवैध, त्रुटिपूर्ण एंव मनमानी तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय तहसीलदार अन्ता से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। तहसीलदार रिपोर्ट एवं मिलान क्षेत्रफल सं0 2044–63 के अनुसार अपीलांट के ख0 नं0 826 रकबा 1.85 है0 ख0 नं0 381 रकबा11 बीघा 10 बिस्वा से बना है जो सही दर्ज है परन्तु

सेटलमेंट सं0 2015–24 मे ख0 नं0 381 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के ख0 नं0 749/216 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज था इस प्रकार अपीलांट के खाते मे गत की तुलना मे 4 बीघा (0.64) है0 भूमि अधिक दर्ज खाता है तथा मौका स्थिति के अनुसार ख0 नं0 826 रकबा 1.21 है0 भूमि पर अपीलांट तथा शेष 0.64 है0 भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त होने से जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं प्रकरण मे उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का आध्योपांत अवलोकन कर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने हीरालाल व छीतर लाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को निर्णय दिनांक 13.5.08 से स्वीकार कर लक्ष्मीचन्द के खाते की आराजी ख0 नं0 826 रकबा 1.85 है0 मे से 0.64 है0 भूमि कम कर हीरालाल वगेरा के खाते दर्ज करने व लक्ष्मीचंद के खाते मे ख0 नं0 826 रकबा 1.21 है0 भूमि तथा हीरालाल वगेरा के खाते मे 1.83 है0 के स्थान पर 2.47 है0 भूमि दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि सं0 2015 के सेटलेमेट के आधार पर दर्ज भूमि को 40–50 वर्ष बाद धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरूस्त नही किया जा सकता अतः अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही था। धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख मे हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है। अपीलांट ने उक्त प्रकरण को कस्टेस्ट किया था ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्पो0 को कानूनन कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही किया इसके विपरीत विद्वान अभि0 रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट के खाते मे गत की तुलना मे 4 बीघा (0.64) है0 भूमि अधिक दर्ज खाता होने तथा मौका स्थिति के अनुसार ख0 नं0 826 रकबा 1.21 है0 भूमि पर अपीलांट तथा शेष 0.64 है0 भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त होने से तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उभय पक्षकारान के उपरोक्त तर्को पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती को विहित रीति से शुद्ध कर सकता है जिनको अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रश्नगत प्रकरण को अपीलांट द्वारा कंस्टेट किया है ऐसी स्थिति मे 40–50 वर्ष पूर्व सेटलमेंट के दौरान हुई त्रुटि तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के माध्यम से दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल तथा बंदोबस्त के पूर्व एंव बाद के नक्शे का अवलोकन किये बिना तथा रकबा बरारी किये बगेर मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 13.5.08 अपास्त किया जाकर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

6 उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 68/02 प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान हीरालाल, छीतरलाल बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 अन्ता व लक्ष्मीचंद मे पारित निर्णय दिनांक 13.5.2008 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचित तथ्यो के आलोक मे राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 30.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा